रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2018/ ज्येष्ठ 3, 1940
No. 339] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2018/ JYAISTHA 3, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2018

सा.का.नि. 481(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अवर श्रेणी लिपिक, (समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2013, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–(1)इन नियमों को गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अवर श्रेणी लिपिक भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।

   (2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2013 (इन्हें इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा नामतः –

   "2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में लेवल.–उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।"

3. उक्त नियमों में, अनुसूची में, –

   (क) स्तभं (4) में, शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखे जाएंगे, नामतः –

" वेतन मैट्रिक्स में लेवल
(4)
लेवल – 02 (रु. 19900–63200)";

   (ख) स्तंभ (10) में, –

   (1) "रु. 1800 के ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और वर्णों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में लेवल–1(रु. 18000–56900) "शब्दों, अंकों और वर्णों को रखा जाएगा।

   (2) "रु. 1800 के ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और वर्णों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में लेवल–1(रु. 18000–56900) "शब्दों, अंकों और वर्णों को रखा जाएगा।

(ग) स्तंभ (11) में, उप शीर्षक ''प्रोन्नति'' के अंतर्गत ''रु. 1800 के ग्रेड वेतन'' शब्दों, अंकों और वर्णों के स्थान पर ''वेतन मैट्रिक्स में लेवल–1 (रु. 18000–56900)'' शब्दों, अंकों और वर्णो को रखा जाएगा।

[फा. सं. I–12014/47/2017–एनसीबी–II]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 25 फरवरी, 2013 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 162(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2013/फाल्गुन 16, 1934

No. 128] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2013/PHALGUNA 16, 1934

गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 162(अ).—केन्द्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) समूह 'ग' और 'घ' पद भर्ती नियम, 2007 को, जहां तक उसका संबंध अवर श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में, अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय पद), भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवर श्रेणी लिपिक	14* (2013) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	5200–20200 रू0 + ग्रेड वेतन 1900/– रू0.	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है ।) टिप्पण : आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित किए अनुसार होगी । (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं होगी, वहां आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 12वीं कक्षा अथवा समतुल्य अर्हता। (ii) केवल कम्प्यूटर पर ही अंग्रेजी में 35 श.प्र. मिनट अथवा हिंदी में 30 श.प्र.मिनट की टंकण गति । (35 श.प्र.मिनट अथवा 30 श.प्र.मिनट प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दाब	हां, स्तंभ (10) में दर्शायी गयी सीमा तक ।	दो वर्ष ।	(i) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, (ii) 10 प्रतिशत रिक्तियां, ऐसे समूह 'ग' कर्मचारिवृन्द में से विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी जो 1800 रू. ग्रेड वेतन में हों और जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, अथवा समतुल्य अर्हता रखते हों और जिन्होंने इस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो । परीक्षा हेतु पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा

(की डिप्रेशन) के औसत पर 10500 के.डी.पी.एच / 9000 के.डी.पी.एच के बराबर)			45 वर्ष (अनुसूचित जाति, अनुसूचित-जनजाति के लिए 50 वर्ष) है । टिप्पण – यदि खण्ड (ii) के अन्तर्गत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं तो अतिरिक्त संख्या वाले ऐसे कर्मचारियों से आगे के वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरनें पर विचार किया जाएगा ताकि पहले वाली परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को बाद वाली परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों से पहले विचार किया जाए । (iii) 5 प्रतिशत रिक्तियां, समूह 'ग' के ऐसे कर्मचारियों में से ज्येष्ठता–सह–उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएंगी जिन्होंने 1800 रू. वाले ग्रेड वेतन वाले पदों में तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
<u>प्रोन्नति</u> : ऐसे समूह 'ग' के कर्मचारियों में से जिन्होंने रू. 1800 के ग्रेड वेतन के पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो ।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे :— (1) उप निदेशक (प्रशासन) — **अध्यक्ष** (2) सहायक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो —**सदस्य** (3) गृह मंत्रालय, से अवर सचिव स्तर का एक अधिकारी — **सदस्य**	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. I.-12014/20/2010-एन सी बी]

बीना प्रसाद, संयुक्त सचिव

971 GI/13-2